पत्रांकः– 6प०/बि०प०नि०–04/2023/.....पं०रा० पटना

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले०एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ...7.../...10.../2026

विषय : **बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर स्व० विजय कुमार मंडल, गृह रक्षक संख्या–421534 ग्राम–परभेली, पो०–सेमापुर, थाना–ओ०पी० सेमापुर, प्रखण्ड–बरारी जिला–कटिहार, की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रिता को ₹15,00,000.00 (पन्द्रह लाख रूपया) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक–1837 दिनांक–19.08.26 एवं नियंत्री पदाधिकारी, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, कटिहार के पत्रांक–291 दिनांक–15.02.2023 द्वारा बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर स्व० विजय कुमार मंडल, गृह रक्षक संख्या–421534 ग्राम–परभेली, पो०–सेमापुर,थाना–ओ०पी० सेमापुर, प्रखण्ड– बरारी जिला– कटिहार, की दशम् चरण चुनाव में दिनांक–08.12.2021 को प्रतिनियुक्ति स्थल से ई०वी० जमा कराने हेतु जाने के क्रम में सड़क दुर्घटना में चोटिल होने के उपरान्त कटिहार मेडिकल कॉलेज में ईलाज के क्रम में दिनांक–10.12.2021 को हुई मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित को अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुशंसा विभाग को प्राप्त है।

3. जिला पदाधिकारी, कटिहार से प्राप्त उक्त अनुशंसा एवं पंचायती राज विभाग के पत्रांक–2440 दिनांक–10.05.2018 और पत्रांक–2325 दिनांक–09.04.2021 के आलोक में दिनांक–25.09.2026 को सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय अनुग्रह अनुदान स्वीकृति समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर चुनाव कर्त्तव्य के दौरान स्व० विजय कुमार मंडल, गृह रक्षक संख्या–421534, ग्राम–परभेली, पो०–सेमापुर,थाना–ओ०पी० सेमापुर, प्रखण्ड–बरारी जिला–कटिहार, की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रिता को निम्नरूपेण अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत की जाती हैः–

लगातार.....

मृतक का नाम	मृतक के आश्रिता का नाम एवं पता	स्वीकृत राशि
स्व० विजय कुमार मंडल, गृह रक्षक संख्या–421534	श्रीमती विमली देवी (पत्नी) ग्राम–परभेली, पो०–सेमापुर, थाना–ओ०पी० सेमापुर, प्रखण्ड–बरारी, जिला– कटिहार	₹15,00,000.00 (पन्द्रह लाख रूपया)

4. यह राशि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के "मुख्य शीर्ष–2015– निर्वाचन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उप शीर्ष–0002–जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" अन्तर्गत विषय शीर्ष '0002.37.01–अनुग्रह अनुदान' इकाई से वित्तीय वर्ष 2026–27 में विकलनीय होगा।

5. इसका माँग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16–2015001090002 है।

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), कटिहार होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, कटिहार से की जाएगी। राशि की निकासी हेतु पंचायती राज विभाग के द्वारा अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जाएगा।

7. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. प्रस्ताव पर विभागीय अनुग्रह अनुदान स्वीकृति समिति की दिनांक–25.09.2026 को सम्पन्न बैठक में स्वीकृति प्राप्त है। बैठक की कार्यवाही संचिका सं0–6प०/बि०प०नि०–04/2023 में पृष्ठ–91/प० पर रक्षित है।

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–6प०/बि०प०नि०–04/2023 में पृष्ठ–15/टि० पर दिनांक 30.09.2026 को प्राप्त है।

10. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–6प०/बि०प०नि०–04/2023 में पृष्ठ–15/टि० पर दिनांक–01/10/26 को प्राप्त है।

11. स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

विश्वासभाजन,
1/10/26
(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक:– 6प०/बि०प०नि०–04/2023/561स्वी पं०रा० पटना, दिनांक 7/10/2026

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), कटिहार/कोषागार पदाधिकारी, कटिहार/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः— 6प०/बि०प०नि०—04/2023/5614 पं०रा० पटना, दिनांक 7/10/2026

प्रतिलिपि— अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः— 6प०/बि०प०नि०—04/2023/5614 पं०रा० पटना, दिनांक 7/10/2026

प्रतिलिपि— प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—05 (बजट) को आवंटनादेश निर्गत करने एवं आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को स्वीकृत्यादेश की प्रति सभी संबंधितों को ई—मेल से भेजने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव